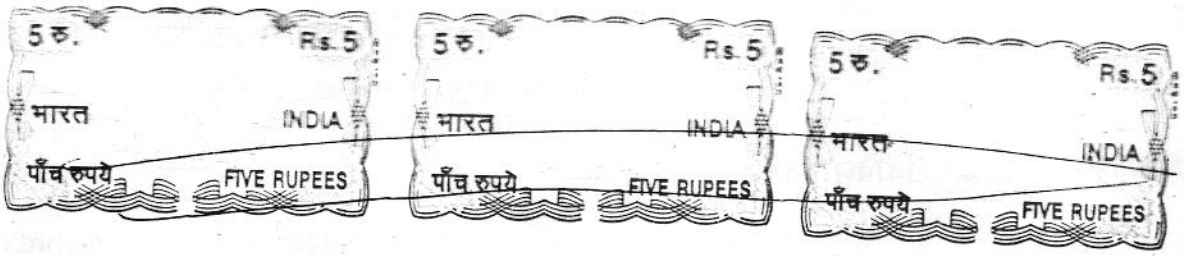

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विविध – 1110 – I/15

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   / 2015 अवमानना आवेदन

पूरन सिंह पुत्र महाराज सिंह यादव निवासी ग्राम पंचायत महाराजपुर तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र.

——— आवेदक

बिरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना
2. तहसीलदार महोदय जौरा जिला मुरैना।
3. सचिव, ग्राम पंचायत महाराजपुर तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र

——— अनावेदकगण

अवमानना आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1872।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से अवमानना आवेदन निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक ग्राम पंचायत महाराजपुर तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र. का स्थाई निवासी, चरवाहा एवं मतदाता होकर ग्राम पंचाायत में निवास करने वाले ग्रामीण जनों की आवश्यकताओं से भली भॉति परिचित है और ग्राम पंचायत के विकास के लिये यथा संभव प्रयास करता रहता है। चरवाहा होने के कारण ग्राम की चरनोई भूमि सम्बम्धी समस्याओं की जानकारी रखता है।

2. यह कि, अनावेदक क्. 1 ने ग्राम पंचायत महाराजपुर में कुल 24 सर्वे नं. रकवा 5.16 है. भूमि निरस्तार पत्रक में धारा 237 (1)–(ख) भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत चरोखर, घास, बीड़, अथवा चारे के लिए सुरक्षित रखी गई थी। जिसमें से चरनोई भूमि में से रकवा 4.21 है. को सम्भागीय आवासी विद्यालय भवन हेतु प्रस्ताव कं. 1 दिनांक 30.08.2013 को ग्राम पंचायत महाराजपुर ने आज्ञात्मक प्रावधानों को अनदेखा करते हुए, ग्राम सभा की बैठक बुलाये बिना एवं ग्राम वासियों को सूचित किए बिना अग्रिम कार्यवाही हेतु। तहसीलदार जौरा की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के आधार पर आदेश दिनांक 30.07.2013 से आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसके कारण ग्राम महाराजपुर में वर्तमान में चरनोई भूमि का निर्धारित रकवा ग्राम की कुल भूमि का 2 प्रतिशत से कम हो गया है एवं गांव के पशुओं के लिये चरागह योग्य कोई भूमि शेष नहीं बची है। धारा 237(1)(ख) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के प्रावधान के अनुसार किसी ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम 2 प्रतिशत तक चरनोई भूमि, चरागाह, घास, बीड या चारे के लिये सुरक्षित रखना अनिवार्य होती है तथा ऐसी सुरक्षित रखी गई भूमि को अन्य किसी प्रयोजन हेतु व्यवर्तित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रावधान आज्ञात्मक प्रावधान है जिसको अनदेखा करते हुए अनावेदक क्. 1 ने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 1110–एक/2015 जिला मुरैना

पूरन सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२–8–2019	आवेदक अभिभाषक विविध आवेदन अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1872 के प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी 2983–एक/2014 में दिनांक 16–3–2015 को पारित आदेश की अवमानना के कारण यह विविध प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। आवेदक की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के पूर्व आदेश की अवमानना की हो। फलस्वरूप यह विविध आवेदन अस्वीकार किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	